''और जो व्यक्ति अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदेशों का पालन करेगा वह बड़ी सफलता प्राप्त करेगा।''

समाज सुधार प्रकाशण श्रंखला 9

इस्लाम और पड़ोसी

मनुष्य को मानवता के आधार पर
धर्म से ऊपर उठकर प्रत्येक के साथ
अच्छे व्यवहार करना चाहिये

मौलाना अरशद मदनी
अध्यक्ष, जमीअत उलमा-ए-हिन्द

प्रकाशक
जमीअत उलमा-ए-हिन्द
1-बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-2

इस्लाम और पड़ोसी

मनुष्य को मानवता के आधार पर धर्म से ऊपर उठकर प्रत्येक के साथ अच्छे व्यवहार करना चाहिये

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ.

इस्लाम ने जहां समाज और रहन-सहन को बेहतर बनाने के लिये अच्छे निर्देश और शिक्षा दी है, वहां पड़ोसियों के साथ अच्छे व्यवहार पर भी ज़ोर दिया है, क्योंकि इससे एक दूसरे से निकटता होती है, प्रेम बढ़ता है और मानवता निखर कर सामने आती है, चुनांचे अल्लाह तआ़ला क़ुरआन मजीद में फ़रमाते हैं:-

﴿وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَاناً وَبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَامَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوْرًا﴾. (النساء: ٣٦)

"और तुम अल्लाह तआ़ला की इबादत करो और उस के साथ किसी चीज़ को शरीक (भागीदार) मत करो और माता-पिता

के साथ अच्छा व्यवहार करो, सगे सम्बंधियों के साथ भी, यतीमों के साथ भी, ग़रीबों के साथ भी, निकटतम पड़ोसी (चाहे वह किसी धर्म का मानने वाला हो) के साथ भी, दूर वाले पड़ोसी के साथ भी और पास बैठने वाले के साथ भी, यात्रियों के साथ भी और उनके साथ भी जो तुम्हारे स्वामित्व में हों, निस्संदेह अल्लाह को इतराने वाला और बड़ाई करने वाला अच्छा नहीं लगता।'' (सूरत-4, आयत-36)

(यह अधिकार वाले अगर मुसलमान न भी हों तब भी उनके साथ अच्छे व्वयहार करो, अलबत्ता जिस तरह किसी रिश्तेदार का अधिकार रिश्तेदारी के कारण अधिक होगा इसी तरह मुसलमान का अधिकार इस्लाम के कारण अधिक होगा।)

इस पवित्र आयत से यह भी मालूम होता है कि केवल उसी पड़ोसी का अधिकार नहीं है जो पड़ोस के घर में लम्बे समय तक रहता है, बल्कि साथ बैठने वालों के साथ भी उसके अधिकार का पालन करने और अच्छे व्वयहार का आदेश है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिये कि इस आयत के अनुसार रेल और मोटर में उनके बराबर में बैठा हुआ यात्री भी सहसभा पड़ोसी है और अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआन में उसके अधिकार के पालन करने का भी आदेश दिया है, यहां भी मुस्लिम और ग़ैर-मुस्लिम का कोई प्रतिबंध नहीं है। अल्लाह अपनी पवित्र पुस्तक क़ुरआन में हर मुसलमान को यही आदेश देता है कि धर्म से ऊपर उठकर अपने पड़ोस के हर व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हें अपने जीवन में इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिये।

समाज और रहन-सहन में इन क़ुरआनी शिक्षाओं को अपनाने से दिलों में प्रेम और सम्बंध पैदा होगा, मनुष्य को मानवता के आधार पर हर एक के साथ सुव्यवहार करना ही

चाहिये, नबियों, रसूलों और अल्लाह के नेक बंदों की हमेशा यही परम्परा रही है और इसी से उन्होंने हमेशा लोगों के दिलों को जीता है।

पड़ोसियों से सम्बंधित हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम के कुछ आदेश

मानवता के दाता संसार के मार्गदर्शक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शिक्षा एवं आदेशों में पड़ोसी के सम्बंध को बड़ी महानता दी है और इसके सम्मान हेतु बड़ा ज़ोर दिया है।

﴿عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِيْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ﴾. (جامع الترمذی باب فی حق الجوار)

''हज़रत आईशा सिद्दीक़ा और हज़रत इबन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के अनुसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, हज़रत जिब्रील पड़ोसी के अधिकार के बारे में बराबर वसीयत करते और ज़ोर देते रहे यहां तक कि मैं सोचने लगा कि जिब्रीले अमीन पड़ोसी को पड़ोसी का वारिस बना देंगे।'' (तिरमिज़ी शरीफ़)

﴿عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ، قِيْلَ وَمَنْ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: الَّذِيْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ﴾.

(رواه البخاری: باب اثم من لایامن جاره)

''हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के अनुसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, ''ख़ुदा की क़सम वो व्यक्ति मोमिन नहीं, ख़ुदा की क़सम वो व्यक्ति मोमिन

नहीं, ख़ुदा की क़सम वह व्यक्ति मोमिन नहीं, पूछा गया या रसूलुल्लाह वो कौन व्यक्ति है? आपने फ़रमाया वो आदमी जिसका पड़ोसी उसके अत्याचार से सुरक्षित न हो।''

(बुखारी शरीफ़)

इस पवित्र हदीस का पैग़ाम यही है कि हर मुसलमान के लिये आवश्यक है कि पड़ोसियों के साथ उसका व्यवहार ऐसा शरीफ़ों जैसा रहे कि वे सब उसकी प्रशंसा से अति संतुष्ट और निर्भीक रहें। इस्लाम ऐसे ही व्यवहार की मुसलमानों को शिक्षा देता है, और यह बात भी स्पष्ट हो रही है कि जिसका मामला अपने पड़ोसी के साथ खराब है वो सच्चा मोमिन कहलाने के योग्य नहीं है।

﴿عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: حَقُّ الْجَارِ إِنْ مَرِضَ عُدْتَهُ، وَإِنْ مَاتَ شَيَّعْتَهُ، وَإِنِ اسْتَقْرَضَكَ أَقْرَضْتَهُ، وَإِنْ أَعْوَزَ سَتَرْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ هَنَّأْتَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيْبَةٌ عَزَّيْتَهُ، وَلَا تَرْفَعْ بِنَائَكَ فَوْقَ بِنَائِهِ، فَتَسُدَّ عَلَيْهِ الرِّيْحَ، وَلَا تُؤْذِهِ بِرِيْحِ قَدْرِكَ إِلَّا أَنْ تَغْرِفَ لَهُ مِنْهَا﴾. (رواه الطبرانی فی الکبیر)

''हज़रत मुआविया बिन हैदा के अनुसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, पड़ोसी के अधिकार ये हैं कि अगर वह बीमार हो जाए तो उसका हाल चाल पूछो, अगर वो मर जाये तो उसके जनाज़े के साथ जाओ, अगर वो उधार मांगे तो उसको उधार दो, अगर कोई बुरा काम करे तो छिपाओ, अगर उसे कोई ख़ुशी मिले तो उसको बधाई दो, अगर कोई मुसीबत आए तो संवेदना प्रकट करो, अपना भवन उसके भवन से इस तरह ऊंचा न करो कि उसके घर की हवा बाधित हो जाए, और (जब तुम्हारे घर कोई अच्छा खाना पके

तो इसका प्रयास करो कि) तेरी हांडी की महक उसके लिये पीड़ा का कारण न हो, अलावा इसके कि उसमें से कुछ उसके घर भेज दो।'' (तिबरानी)

रसूले करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन आदेशों से अनुमान लगाया जा सकता है कि इस्लाम दुनिया में मानवाधिकार का कितना ध्यान रखता है, और इसकी शिक्षा मानव सम्मान में इतनी उच्च हैं कि इसका उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार की शिक्षा को मुसलमानों ने अपने जीवन में उतारा और दुनिया में जहां पहुंचे वहां क्रांति पैदा कर दी और समूह के समूह इस्लाम के अनुयायी बन गए।

﴿عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ: مَنْ اٰذَى جَارَهٗ فَقَدْ اٰذَانِيْ، وَمَنْ اٰذَانِيْ فَقَدْ اٰذَى اللّٰهَ، وَ مَنْ حَارَبَ جَارَهٗ فَقَدْ حَارَبَنِيْ، وَمَنْ حَارَبَنِيْ فَقَدْ حَارَبَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ﴾. (الترغيب و الترهيب: ج٣/ص ٢٤١)

''हज़रत अनस बिन मालिक के अनुसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने अपने पड़ोसी को पीड़ा पहुंचाई उसने गोया मुझे पीड़ा पहुंचाई और जिसने मुझे पीड़ा दी गोया उसने अल्लाह तआ़ला को पीड़ा दी, और जिस व्यक्ति ने अपने पड़ोसी से लड़ाई की गोया उसने मुझसे लड़ाई की और जिसने मुझसे लड़ाई की गोया उसने (ख़ुदा क्षमा करे) अल्लाह तआ़ला से लड़ाई की।''

(अल-तरग़ीब वल तरहीब, 3/241)

अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह कथन पड़ोसी के सम्मान और उसके अधिकार की सुरक्षा के लिये बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ यह है कि पड़ोसी के अधिकारों को रौंदने वाला अल्लाह और

उसके रसूल दोनों की सहानुभूति से वंचित हो जाता है।

﴿عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُحْسِنْ إِلٰى جَارِهِ﴾.

(رواه مسلم فی کتاب الایمان)

''हज़रत अबू शरीह ख़ाज़ाई का कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो व्यक्ति अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखता है तो उसे पड़ोसी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए।'' (मुस्लिम शरीफ़)

इसका अर्थ यह हुआ कि आख़िरत में पुरस्कार और सज़ा पर अगर वास्तव में ईमान है तो मुसलमान अपने पड़ोसी के अधिकार को नष्ट करने से डरेगा, क्योंकि ख़ुदा के दरबार में उसको जवाब देना पड़ेगा।

एक सच्चे मुसलमान का मामला अपने पड़ोसी के साथ, चाहे वो कोई भी हो और किसी भी धर्म का मानने वाला हो, अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि क़यामत के दिन मुसलमान के इस अच्छे व्यवहार की प्रशंसा की जाएगी।

इस आयत के अंत में अल्लाह का फ़रमान ''अल्लाह को इतराने वाला और बड़ाई करने वाला अच्छा नहीं लगता'' बता रहा है कि इस आयत में जिन चीज़ों का आदेश दिया गया है उनका पालन करने में वही व्यक्ति सुस्ती करता है जो अहंकार करता है, अर्थात अपने आपको सबसे ऊंचा और दूसरों को अपने आप से छोटा और तुच्छ समझता है।

'अहंकार' अल्लाह को बहुत नापसंद है। जो आदमी इसके बावजूद कि वह सर से पैर तक और जन्म से मृत्यु तक वंचित ही वंचित है अपने आपको सबसे बड़ा और दूसरों को अपने से तुच्छ समझता है। इस पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया

है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया है कि ''जिसके दिल में एक राई के दाने के बराबर भी अहंकार होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा।'' (मुस्लिम शरीफ़)

क़ुरआन शरीफ़ में भी अल्लाह ने अहंकार करने वाले को जन्नत से वंचित रहने को बयान फ़रमाया है:

﴿تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لاَ يُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلاَفَسَادًا﴾. (سورة القصص: ٨٣)

''यह आख़िरत की दुनिया (अर्थात जन्नत) हम उन्हीं लोगों के लिये समर्पित करते हैं जो दुनिया में न अपनी बड़ाई चाहते हैं और न हिंसा करना।'' (अर्थात न अहंकार करते हैं और न दुनिया में दूसरों पर अत्याचार करते हैं)(सूरत-28, आयत-83)

इन आयतों से यह बात स्पष्ट रूप से मालूम हो रही है कि अहंकार मनुष्य को अल्लाह की इच्छा और पसंद के रास्ते से वंचित कर देता है और उनको ऐसे अच्छे कामों से भी दूर कर देता है जो अल्लाह के पसंदीदा हैं जिसका परिणम मुत्यु के बाद जहन्नुम और ख़ुदा का अज़ाब है।

प्रत्येक मुसलमान को अपने दिल और दिमाग से अहंकार को निकाल देना चाहिये और विनम्रता के गुण को अपने दिल में पैदा करना चाहिये ताकि वो अल्लाह के बंदों के अधिकारों का पालन कर सके और अल्लाह की जन्नत का योग्य बन सके।

❑❑